

कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497

वन मित्र कॉन्सेंटर - 920 800 8000



पत्रांक-
सेवा में,

1327 / 12-1

गोपेश्वर

दिनांक

02 दिसम्बर

2021.

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.94 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। **FP/UK/ROAD/38601/2019.**

सन्दर्भ:- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 3116/12-1, दिनांक 17.11.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण पर उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा पत्रांक 3116/12-1, दिनांक 17.11.2021 से आख्या ऑनलाइन से प्रेषित की गयी है। कृपया प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)

निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्राक:-

3116 / 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 17-11 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:-

निदेशक / वन संरक्षक नन्दोदवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.94 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यातर्पन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत करना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 29-07-2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण का प्रस्तुत उत्तर मान्य न किये जाने के कारण मोटर मार्ग का पुनः दिनांक 8-10-2021 को वृक्ष विहीन क्षेत्र हेतु प्रयोक्ता अभिकरण एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। वैकल्पिक संरक्षण में तकनीकी रूप से सही न होने तथा ग्रामीणों द्वारा कड़ी आपत्ति के कारण नया संरक्षण चयनित नहीं किया जा सका। पूर्व में चयनित संरक्षण ही सदा सर्वदा उपयुक्त है। दिनांक 08-10-2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., गौचर (चमोली)

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eedgauc.pwduk@gov.in

पत्रांक- 2060/1सी0 वन

गौचर

दिनांक

30/10/2021

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय: जनपद चमोली में राज्य योजना के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.94 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/ROAD/38601/2019)

संदर्भ:- आपका पत्रांक संख्या 1674/121 दिनांक 29.09.2021 एवं ई०डी०एस० दिनांक 10.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या 8बी/यू०सी०पी०/०६/५८/२०२१/एफ०सी०/६६५ दिनांक ०३.०९.२०२१ द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व में दिनांक २९.७.२०२१ को किये गये संयुक्त निरीक्षण का प्रस्तुत उत्तर मान्य योग्य नहीं है। जिसके क्रम में पुनः दिनांक ८.१०.२०२१ को मोटर मार्ग का वृक्ष विहीन क्षेत्र हेतु वैकल्पिक संरक्षण संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें वैकल्पिक संरक्षण के चयन हेतु सहायक अभियन्ता द्वारा व्यक्तिगत प्रयास कर पुनः नये स्थल देखे गये परन्तु तकनीकी रूप से (स्लाइडिंग जोन) सही न होने तथा ग्रामीणों द्वारा कड़ी आपत्ति के कारण नया वैकल्पिक संरक्षण चयनित नहीं किया जा सका।

अतः महोदय से अनुरोध है कि मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु पूर्व में चयनित संरक्षण जो सर्वथा उपयुक्त है एवं दिनांक २९.०७.२०२१ को किये गये संयुक्त निरीक्षण में उल्लेखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु अपने स्तर से संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न:- संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
गौचर (चमोली)

पत्रांक- 2060/1सी० वन
/२६एम.जी.

तददिनांक।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गौचर को उनके पत्र संख्या ३७८/१सी० दिनांक २९.१०.२०२१ के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
गौचर (चमोली)

संयुक्त निरीक्षण आवेदन

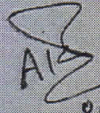
सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, कैदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गौरीश्वर का
पतांक 1674/121 दिनांक 29/09/2021

आज दिनांक 08/10/2021 को नि० ख० लो० नि० वि० गौरीश्वर की
तरफ से इं० अमित कुमार पटेल, सहायक अभियन्ता एवं वन विभाग
की तरफ से श्री पंकज ध्यानी, वन क्षेत्राधिकारी धनपुर रेंज अपने
विभागीय कर्मचारियों के साथ " मा० मु० छो० लं०- 1471/2015 राज्य
योजना के अन्तर्गत जनपद चमेली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में
देवल से धानई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु " वैकल्पिक संरेखण
के चयन के लिए पुनः उपस्थित हुए।

वैकल्पिक संरेखण के चयन हेतु पुनः नये स्थल देखे गए परन्तु
तकनीकी रूप से (क्लाइडिंग जॉन) नहीं न होने तथा ग्रामीणों
द्वारा कड़ी आपत्ति के कारण नया वैकल्पिक संरेखण चयनित नहीं
किया जा सका।

दिनांक 29/07/2021 को श्री वैकल्पिक मार्ग के चयन का प्रस्ताव
किया गया था परन्तु सही स्थल न मिल पाने व विवाद के कारण
मार्ग का चयन सम्भव नहीं हो सका तथा यह पाया गया कि
पूर्व में चयनित संरेखण ही सर्वथा उपयुक्त है (प्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/38601/
2019 के नव-निर्माण हेतु पूर्ण में ही चयनित संरेखण की स्वीकृति
हेतु अनुरोध किया जाता है।


08/10/21
(इं० अमित कुमार पटेल)
सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
गौरीश्वर


08/10/2021
(श्री पंकज ध्यानी)
वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर रेंज

संयुक्त निरीक्षण आलेख

संख्या - आजीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गौरीहर का पत्रांक-417/12-1 दिनांकित 23-7-2021

आज दिनांक 23/07/2021 को निम्न लौ० नि० वि० गौरीहर की तरफ से इं० अमित कुमार पटेल, सहायक अभियंता एवं इं० प्रतीक अग्रवाल, अपर सहायक अभियंता एवं वन विभाग की तरफ से श्री पंकज ध्यानी, वन शैलाधिकारी धनुपुर रेंज तथा राजस्व विभाग की तरफ से श्री हरेश चन्द्र पोखरीवाल, राजस्व उप निरीक्षक-बैनाली " मा० मु० धौ० सं०-1471/2015 रज० या० का के अन्तर्गत जनपद चमौली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानद तक मीटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु " संयुक्त निरीक्षण हेतु उपस्थित हुए। संयुक्त निरीक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

- प्रस्तावित ग्राम गुगल मैप (Google Map) में पूर्व से ही निर्मित 'कर्णप्रयाग नोटी-पैठाणी मीटर मार्ग' से जुड़ा हुआ है ऐसा प्रदर्शित होता है परन्तु कर्णप्रयाग-नोटी-पैठाणी मा० मार्ग का उद्देश्य मुख्यतः पैठाणी (जिला-पौड़ी) को जोड़ने का है जो कि किमी० 27 में आंशिक परिवार को छुविछा पहुंचता है तथा ग्राम धानद जिसकी जनसंख्या लगभग 200 है मुख्यतः पूर्व में निर्मित मीटर से काफी ऊँचाई पर स्थित है जिस कारण मीटर मार्ग के निर्माण की आवश्यकता है जिससे ग्रामीणों को मूल-भूत सुविधा का लाभ मिल सके।
- प्रस्तावित मीटर मार्ग वन पंचायत भूमि से होकर जा रही है न कि आरक्षित वन भूमि से। अर्थात् वन भूमि को दूरी सम्मन्धित मीटर मार्ग से लगभग 1.50 किमी० है।
- वृक्षों के पतन में न्यूनता लाने हेतु वैकल्पिक मार्ग का प्रयास किया गया परन्तु दूरदूरी ग्राम समा हारा विवाद तथा मार्ग पर क्लाइडिंग जॉन व ग्रामीणों के आपत्ति के कारण सम्भव नहीं हो सका। प्रस्ताव में चयनित संरक्षण ही सर्वोत्तम है जिसमें वृक्षों की सहमति भी है तथा तकनीकी दृष्टि से भी क्लाइडिंग जॉन इत्यादि नहीं है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/38601/2019 के नवनिर्माण हेतु स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

23/7/21
(इ० प्रतीक अग्रवाल)
अपर सहायक अभियंता
नि० वि० लौ० नि० वि०
गौरीहर

23/7/21
(इ० अमित कुमार पटेल)
सहायक अभियंता
नि० वि० लौ० नि० वि०
गौरीहर

23/7/21
(श्री हरेश चन्द्र पोखरीवाल)
राजस्व उप निरीक्षक
बैनाली

23/7/2021
(श्री पंकज ध्यानी)
वन शैलाधिकारी
धनुपुर रेंज